रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 143] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 1973/ज्येष्ठ 22, 1895

No. 143] **NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 1973/JYAISTHA 22, 1895**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th June 1973

G.S.R. 311(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby appoints, with effect from the appointed day, Shri J. G. Kumaramangalam, Custodian General, Coal Mines Authority, as the Custodian of all the coal mines except those mines specified against serial numbers 45 to 219 (both inclusive), 227, 230, 235, 237, 260, 265 and 275 of the Schedule to the said Act.

[No. 101(18)/73-CII.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

सा० का० नि० 311(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय

सरकार, श्री जे० जी० कुमारमंगलम महाअभिरक्षक, कोयला खान प्राधिकारी को नियत दिन से सभी कोयला खानों के, उन खानों को छोड़कर, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची के क्रम संख्या 45 से 219 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए,) 227, 230, 235, 237, 260, 265 और 275 के सामने विनिर्दिष्ट हैं, अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है ।

[सं० 101 (18)/73-सी 2]

G.S.R. 312 (E).—In pursuance of the provisions of clause (m) of section2 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby specifies the date mentioned in column 2 of the Table below as the specified date for the purpose of the provisions of the Act specified against such date in the corresponding entries in column 1 of the said Table.

THE TABLE

Provision of the Act	Specified date
(1)	(2)
1. Sub-section (3) of section 14	16-6-1973
2. Section 16	31-12-1973
3. Sub-section (3) of section 19	31-12-1973
4. Sub-section (4) of section 19 and the proviso thereto.	30-9-1973

(No. 101 (11)/73-CII)

सा० का० नि० 312(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 (1973 का 26) की धारा 2 के खंड (ड) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्न सारणी के स्तंभ 2 में वर्णित तारीख को उक्त सारणी के स्तंभ 1 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में ऐसी तारीख के सामने विनिर्दिष्ट अधिनियम के उपबन्धों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

अधिनियम के उपबन्ध	विनिर्दिष्ट तारीख
1	2
1. धारा 15 की उपधारा (3)	16–6–1973
2. धारा 16	31–12–1973
3. धारा 19 की उपधारा (3)	31–12–1973
4. धारा 19 की उपधारा (4) और उसके परन्तुक	30–9–1973

[सं० 101(18)/73- सी 2]

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby directs that all the powers exercisable by it under the said Act may also be exercised by Shri J. G. Kumaramanglam, Custodian.

[No. 101(18)/73-CII.]

सा० का० नि० 313(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियों का प्रयोग, श्री जे० जी० कुमारमंगलम अभिरक्षक द्वारा भी किया जा सकेगा ।

[सं० 101(18)/73-सी 2]

ORDER

New Delhi, the 12th June 1973

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973 (26 of 1973), the Central Government hereby directs that the right, title and interest of the owners of each of the coal mines specified against serial numbers 45 to 219 (both inclusive), 227, 230, 235, 237, 260, 265 and 275 of the Schedule to the said Act shall, with effect from the 1st day of May, 1973, vest in the Bharat Coking Coal Limited, Dhanbad, a Government company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and having its registered office at Sijua, District Dhanbad in the State of Bihar.

[No. 101(18)/73-CII.]

S. B. LAL, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1973

सा० का० नि० 314(अ).—कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 (1973 का 26) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रम सं० 45 से 219 तक (दोनों को सम्मिलित करते हुए), 227, 230, 235, 237, 260, 265 और 275 के सामने विनिर्दिष्ट प्रत्येक कोयला खान के स्वामियों का अधिकार, हक और हित, 1 मई, 1973 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद में, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कम्पनी है, और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सिजुआ, जिला धनबाद, बिहार राज्य में है, निहित हो जाएंगे।

[सं० 101(18)/73-सी 2]

एस० बी० लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973